

फॉर्म 2 बी
(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम और
और जो सिंडिकेट बैंक के फोलियो नं.के अन्तर्गत
शेयरधारक हूँ/हैं एतद्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ/करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/ अथवा
देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे।

नामिती का नाम और पता

नाम :

पता :

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक

नाम और पता

** (यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

दिनांक:

गवाह का पता, नाम और हस्ताक्षर

नाम और पता दिनांक सहित हस्ताक्षर

1.

2.

अनुदेश:

- नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं। यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है। यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे।
- नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए।
- सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं। एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है।
- शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा।
- नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
- नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधार को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. नामांकन प्रपत्र दिनांक को प्राप्त किया

पंजीकरण सं. दिनांक:

टिप्पणी:

FORM 2B
(See rules 4 CCC and 5 D)
NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We and
and the holder(s) of shares under the Folio No. of SyndicateBank
wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount
payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : _____
Address : _____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is _____

Name and Address: _____

(** To be deleted if not applicable)

Signature :

Name :

Address :

.....

Date :

Signature :

Name :

Address :

Date:

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address	Signature with date
1. _____	_____
2. _____	_____

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/ holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination /nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL.NO. NOMINATION FORM RECEIVED ON
REGISTRATION NO. DATE:
REMARKS:
.....